HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 12658/2026
CNR: RJHC020777792026 | URN: CRLMB / 23314U / 2026

Shivsingh S/o Navalsingh, Resident Of Dheva, Police Station Kumher Dist. Bharatpur (At Present In Central Jail Jaipur)

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through P.p.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Gourav Pareek, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Tapesh Agrawal, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

19/08/2026

न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–9, जयपुर महानगर–प्रथम के समक्ष लंबित नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या 169/2002, अपराध अन्तर्गत धारा 379 भा.दं.सं. में प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 28.09.1999 को प्रसंज्ञान लिया गया, दिनांक 16.03.2000 को अभियुक्त नियमित पेशी पर अनुपस्थित रहा, जिस पर प्रार्थी–अभियुक्त के जमानत–मुचलके जब्त कर पूर्ववर्ती जमानत आदेश निरस्त किया गया तथा गिरफ्तारी वारण्ट से तलब किया गया, अभियुक्त के उपस्थित नहीं आने पर उसे मफरूर घोषित करते हुए स्थायी गिरफतारी वारण्ट से तलब किया गया, अभियुक्त के गिरफ्तार होने तथा जमानत आवेदन निरस्त होने पर यह जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. के तहत यह जमानत आवेदन प्रस्तुत हुआ है, जिस पर दोनों पक्षों को सुना गया।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का निवेदन है कि अभियुक्त अनपढ है तथा उसे प्रकरण के परिणामों की जानकारी नहीं रही, इस कारण नियमित पेशियों पर उपस्थित नहीं हो सका तथा निवेदन किया सह–अभियुक्त का विचारण

होने के बाद वह दोषमुक्त हो चुका है तथा भविष्य में नियमित रूप से उपस्थित होता रहेगा, वह दिनांक 22.07.2026 से अभिरक्षा में है, अतः एक बार पुनः जमानत की सुविधा दिये जाने का निवेदन किया, जबकि विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया।

यद्यपि अभियुक्त की 25 वर्ष की अनुपस्थिति रही है, लेकिन जो कारण बताये हैं तथा अपराध की जो प्रकृति है, उसे देखते हुए मामले के तथ्य, प्रस्तुत तर्कों, अनुपस्थिति बाबत् बताये कारणों, अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि और भविष्य में नियमित पेशियों पर उपस्थिति बाबत् दिये गये आश्वासन आदि को देखते हुए अभियुक्त को एक बार पुनः जमानत की सुविधा दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त **शिवसिंह पुत्र नवलसिंह** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र तथा पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तो हस्तगत प्रकरण में उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(UMA SHANKER VYAS),J

117/Mittal